न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–21/2020
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक, उत्पाद दरभंगा बनाम लखीन्द्र माँझी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
15/09/2020 19/09/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद अधीक्षक, उत्पाद दरभंगा के पत्रांक–35/मद्य नि0, दिनांक–06.01.2020 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड संख्या–1309/19 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **बजाज पल्सर मोटर साईकिल** रजि0 सं0– BR07AK-5039 को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। समान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु सूचना निर्गत कि गई। तदालोक में वाहन स्वामी लखीन्द्र माँझी कि ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों द्वारा गश्ती के क्रम में कमतौल कोर्ट पट्टी चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल चालक पुलिस बल को देख कर भागने लगा। जिसका पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। तत्पश्चात उक्त मोटर साईकिल रजि0 सं0– BR07AK-5039 का चेकिंग करने पर मोटर साईकिल पर लदा हुआ दो बोरा में से 300 एम0एल0 का 176 बोतल अवैध नेपाली देशी शराब कुल 52.800 लीटर शराब बरामद हुआ। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की गयी। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी की ओर विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के विरूद्ध दायर वाद पोषनीय नही है। विपक्षी के पास से किसी प्रकार का शराब बरामद नही हुआ है। जब्त शराब विपक्षी के वाहन से मिला है सही नही है। विपक्षी का जब्त शराब से कोई मतलब नही है। इसी लिए उत्पाद अधिनियम के तहत विपक्षी पर कार्रवाई नही किया जा सकता है। अतः वाद को समाप्त करते हुए जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त बजाज पल्सर मोटर साईकिल पर बोरा में लाद कर ले जाने के क्रम में 300 एम0एल0 का 176 बोतल अवैध नेपाली देशी शराब कुल 52.800 लीटर शराब बरामद हुआ। जिसे उत्पाद विभाग के पदाधिकारी द्वारा तलाशी के दौरान बरामद किया गया, तथा विधिवत् उक्त बजाज पल्सर मोटर साईकिल के साथ जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन	

तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया, जिससे की उनके दावे को बल मिलता हो। जबकि वाहन स्वामी स्वयं इस घटना में शामिल है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0--5049 / 2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम--2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में अधीक्षक, उत्पाद दरभंगा के पत्रांक--35 / मद्य नि0, दिनांक--06.01.2020 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड संख्या--1309 / 19 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में उत्पाद अधिनियम--2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **बजाज पल्सर मोटर साईकिल** रजि0 सं0-- BR07AK-5039 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम--2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा